



2026:AHC-LKO:12581-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
विशेष अपील सं. - 390/2006

त्रियुगी नारायण शुक्ला इनरे डब्ल्यू.पी.सं. 4549 एस/एस 2006

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

सी/एम स्वामी नारायण इंटरमीडिएट कॉलेज

... प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	पंडित एस चंद्रा, डॉ एल.पी. मिश्रा
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी., अनिल कुमार तिवारी, एच.एस.जैन, आई.बी.सिंह, रवि सिंह

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. अपीलकर्ता की ओर से इस अपील को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। राज्य प्रतिवादी के विद्वान स्थायी अधिवक्ता उपस्थित हैं।

2. यह विशेष अपील दिनांक 30.05.2006 को पारित हुए एक अंतरिम आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई थी, जो रिट याचिका सं. 4549 (एस/एस) 2006 में पारित किया गया था, जिस पर इस अपील के लंबित रहने के दौरान निर्णय हो चुका है, इसलिए, निर्णय के लिए कुछ भी शेष नहीं है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. अपील का निपटारा तदनुसार किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

17 फरवरी 2026

अरनिमा

Translated Version. Not for Legal Use.